(248)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

श्रृंखला न्यायालय रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

03/6114

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

...द्वारा आज 6-01-14 को प्रस्तुत किया गया

सर्किट कोर्ट रीवा

R. 321-II/14

रूपेश कुमार गुप्ता तनय भोला प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला–सीधी (म0प्र0) ––––आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. बसंतलाल गुप्ता पिता द्वारिका प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला–सीधी (म0प्र0)

2. मध्यप्रदेश शासन ––––––अनावेदक / उत्तरवादीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक 27 / निगरानी / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2013 को अपास्त किये जाने हेतु।

अपील अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा ग्राम सर्रा की आराजी क्रमांक 18 एवं 68 के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन करने हेतु पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया। उक्त सीमांकन प्रकरण तहसील न्यायालय चुरहट में राजस्व प्रकरण क्रमांक 2/अ–12/2010–11 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 15.11.2010 को आदेश पारित किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा मान्नीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा–50 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया

(254)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–321-II / 14 जिला–सीधी।

रूपेश कुमार गुप्ता / वसंतलाल गुप्ता

(1)	(2)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अवनीश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 27 / निगरानी / 2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

उक्त निगरानी प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया